न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र सरली

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 श्री लच्छाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी गोरो का तला गंगासरा तहसील एवं जिला बाड़मेर		1 सोनाराम पुत्र मोतीराम 2 चुतराराम पुत्र तेजाराम 3 मदाराम पुत्र मोतीराम 4 भूराराम पुत्र करनाराम 5 नानगाराम पुत्र चुनाराम 6 मुलाराम पुत्र चैनाराम 7 तुलछाराम पुत्र जैसाराम 8 रूपाराम पुत्र जैसाराम जातियान जाट निवासीयान गोरो का तला गंगासरा तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

दिनांक-18.10.2021

राजस्व आवेदन संख्या-85/2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गोरो का तला पटवार क्षैत्र सरली तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 548 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नंबर 1305/549 रकबा 84.17 बीघा, खसरा नंबर 1303/927 रकबा 39.07 के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर
दिनांक- 18/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6051-6054

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लच्छाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी गोरो का तला गंगासरा तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण सोनाराम पुत्र मोतीराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान गोरो का तला गंगासरा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर